न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2014/54 दर्ज दिनांक : 03.07.2014

1. भानीराम। पुत्रगण स्व. अर्जुनराम जाति जाट निवासीगण
2. दौलतराम। सातड़ा तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र लादूराम जाति ब्राहम्ण निवासी मावलियों का मौहल्ला खाडिया बस रतनगढ जिला चूरू
2. श्यामलाल। पुत्रगण स्व. रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मावलियो
3. पवन कुमार। का मौहल्ला खाडियो बास रतनगढ जिला चूरू
4. नारायणी पुत्री लादू जाति ब्राहम्ण निवासिनी खाडिया बास रतनगढ जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब – चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति

अधिवक्ता वादीः– श्री सुरेन्द्र राहड़

अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री प्रतापसिंह बीदावत

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 व 188 आर.टी.ए.

वादीगण की और से दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि वादीगण भानीराम, दौलतराम जो कि स्व. अर्जुनराम पुत्र कालू जाट निवासी सातडा के जायन्दा पुत्रगण व उतराधिकारीगण वादीगण है। तथा वादीगण कृषि पेशा व्यक्ति है प्रतिवादीगण सं 1 से 4 जो करीबन 65 साल से ग्राम सातडा नहीं रहते तथा ना इनका कोई निवास व घर ग्राम सातडा जिला चूरू में है।
2. यह कि वादीगण के दादा स्व. कालूराम एवं वादीगण के पिता स्व. अर्जुनराम जो कि जागीरदारी के समय से ही कृषि भूमि गत ख. नं. 329 कच्ची तादादी 3 बीघा 9 विस्वा जिसे हाल ख.नं. 506 जिसकी तादादी 7 बीघा 16 विस्वा पक्के नाप के वाके रोही सातडा तहसील चूरू का संवत 2007 से लेकर लगातार काश्त व कब्जावादीगण का एवं उनके दादा कालूराम व वादीगण के पिता अर्जुनराम का लगातार आज तक चला आ रहा है तथा उक्त वादगत कृषि भूमि का लगान भी वादीगण के पिता अर्जुनराम एवं वादीगण के दादा कालुराम अदा करते रहे हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का कोई कब्जा काश्त मौके पर संवत 2007 से लेकर आज तक नहीं रहा है।
3. यह कि वादगत कृषि भूमि गत ख. नं. 329 कच्ची बीघा तादादी 13 बीघा 9 विश्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 506 पक्की बीघा तादादी 7 बीघा 16 विस्वा वाके रोही सातड़ा तहसील चूरू को वादीगण अपने पिता स्व. अर्जुनराम व दादा स्व. कालूराम के साथ काश्त करते रहे है। संवत 2007 से लेकर लगातार कब्जा काश्त बतौर खातेदार स्व. कालूराम एवं स्व. अर्जुनराम एवं वादीगण का चला आ रहा है तथा राजस्व लगान लगातार वादीगण के पिता और दादा ने ही अदा किया है इसलिए काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार इस कृषि भूमि खातेदार काश्तकार संवत 2012 से ही कानूनन हो चुके थे। कब्जा काश्त जो सालाना गिरदावरी से कालूराम, अर्जुनराम का संवत 2007 से वंवत 2033 तक दस्तावेजी आधार से बखुबी साबित है। ऐसी स्थिति में वादीगण जो कि स्व. अर्जुनराम के जायज वारिसान है वा इस कृषि भूमि को उनके जीवनकाल से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण का कब्जा काश्त अपने पूर्वजों के वक्त से ही होने के कारण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं तथा वादीगण अपने नाम से [illegible] के अधिकारी हैं ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि के खातेदार [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रतिवादीगण राधेश्याम, श्यामलाल, मोहनी, नारायणी एवं उनके पूर्वज लादूराम, रामकुमार जो कि करीबन 65 साल पहले ही ग्राम सातडा छोडकर प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. लादूराम पुत्र मुकनाराम जाति ब्राहम्ण जो कि रतनगढ कस्बा जिला चूरू में मय परिवार चला गया।प्रतिवादीगण जो कि 65 साल से वादगत कृषि भूमि को कभी ना काश्त किया और ना ही कोई लगान अदा किया। प्रतिवादीगण का कोई मकान ग्राम सातडा में रिहायसी नहीं है और ना ही निवास करते हैं ना ही इनका नाम राशनकार्ड, मतदाता सूचि आदि में है। राजस्व विभाग के – कर्मचारियों द्वारा बिना अधिकार तथा बिना कब्जा काश्त के लादूराम पुत्र स्व. मुकना के नाम खातेदारी गलत रूप से दर्ज की गई तथा इसके पश्चात प्रतिवादीगण जो लादूराम के जायन्दा वारिसान के नाम गलत रू‌प से दर्ज किये गये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आया उस वक्त स्पष्ट रू‌प से कानूनी प्रावधान रहा है कि जो काश्तकार संवत 2011 व 2012 की खसरा गिरदावरी के आधार पर मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी वादीगण के दादा व पिता के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु दर्ज नहीं की, गलत राजस्व रिकार्ड को रिकार्ड दुरूस्ती करवाने का कानूनी अधिकार वादीगण को प्राप्त है क्योंकि वादीगण का इनके पूर्वजों के जीवनकाल संवत 2007 से लेकर आज तक भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड– दुरूस्तीकरण करवाने के कानूनी अधिकारी है, जिसके लिए यह दावा दुरूस्ती रिकार्ड बाबत प्रस्तुत है।

5. यह कि स्व. लादूराम के जायन्दा पुत्र बैजनाथ व पुत्री रामदेवी व मोहरी जो लाऔलाद फोत हो गई जिनके कोई वारीसान नहीं है लादूराम के वारिसान जो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 है जो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का इस वादगत कृ ि भूमि पर कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है और ना आज है, गलतरूप से राजस्व अभिलेख में खातेदारी का अंकन चला आ रहा है जिसको दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार, काश्तकार अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे जिसके लिए यह दावा वादीगण की और से पेश है।

6. यह कि दावा में वर्णित वादगत कृषि भूमि ख.नं. 506 तादादी 7 बीघा 16 विस्वा वाके रोही सातड़ा तहसील चूरू को वादीगण के दादा स्व. कालूराम व पिता स्व. अर्जुनराम संवत 2007 से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण अपने दादा व पिता के जीवनकाल के वक्त से ही बतौर खातेदार काश्तकार काश्त कर रहे हैं तथा राजस्व लगान इस कृषि भूमि का अदा करते चले आ रहे हैं इस कृषि भूमि के कानूनन वादीगण खातेदार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण के नाम से खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त कर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज की जावें।

7. यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 एवं स्व. लादूराम के वारिसान के नाम से जो राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन होने के कारण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 जो कि गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर जबरन वादीगण को कब्जे से बेदखल करने के प्रयास कर रहे हैं वा गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विक्रय रहन हस्तान्तरित आदि काने पर प्रतिवादीगण आमदा है जिसकी बाबत प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 21.05.2014 को वादीगण को धमकी दी है िकवह जबरन बेदखल वादगत कृषि भूमि से करेंगे तथा उसे विक्रय करेंगे। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण बाहुबल से वादगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में बाधा व बेदखल करने पर आमदा व प्रयासरत है ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वादीगण अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि की रक्षा हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने व अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री के द्वारा प्रतिवादीगण को वर्जित करवाने के लिए आवश्यक है।

8. यह कि दावा में राजस्थान सरकार को बतौर प्रतिवादी तरतीबी पक्षकार बनाया गया है, क्यों कि कोई प्रभावी अनुतोष राजस्थान सरकार के खिलाफ नहीं चाहा है तथा राजस्व रिकार्ड राजस्थान सरकार के कब्जे व दखल में होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इसलिए धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना कानूनन तकमीलन पक्षकार के लिए आवश्यक नहीं है।

9. यह कि वादगत कृषि भूमि के [illegible] खातेदार काश्तकार तथा मौके पर काबिज संवत 2007 से लेकर आज तक चले आ रहे होने से वादीगण का [illegible] कानूनन प्रतिवादीगण के खिलाफ प्राप्त है तथा वादकारण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा दिनांक 21.05.2014 को वादीगण को गांव सातडा में आकर जबरन बेदखल करने का वा [illegible] देने से तथा गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से इन्कार [illegible] प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि दावा में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अव स्थित है इसलिए यह दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का अन्दर मियाद तथा उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है।

अतः दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे—

(क)घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिश्वा वाके रोही सातड़ा तहसील चूरू के वादीगण खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जारक रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

(ख) चिर स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे कि खेत खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिश्वा वाके रोही सातड़ा तहसील चूरू जिसके काबिज काश्तकार वादीगण को जबरन बेदखलन न करें ना काश्त के उपयोग उपभोग में बाधा डाले।

(ग) अन्य अनुतोष हितकर वादीगण हो या दौराने दावा हो जावे वोह भी प्रदान किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता राकेश सहारण व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता प्रतापसिंह बीदावत ने वकालतनामा पेश किया ।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब निम्न प्रकार पेश किया गया कि

1. यह कि मद संख्या 01 दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते है।
2. यह कि मद संख्या 02 अर्जीदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जातो है वादीगन उक्त मद के तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज करवाये है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध सरोकार नहीं है।
3. यह कि मद संख्या 03 अर्जीदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते है वादीगन उक्त में में तथ्यों का मिथ्या निरूपण महन अपने दावा को रंग देने की गरज से किया है वादीगण वादगत कृषि भूमि के किसी भी प्रकार से खातेदार काश्तकार नहीं है। एवं इस मिथ्या दावा के आधार पर कानूनन खातेदार घोषित होने के किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है।
4. यह कि मद संख्या 04 अर्जीदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते है प्रतिवादी सं. 01 बादगत भूमि का अपने हक हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं एवं प्रतिवादी सं. 01 का अपने खातेदारी की वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है वादीगण ने गलत व मिथ्या तथ्यों का निरूपण करतेहुए यह दावा पेश किया है जो हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।
5. यह कि मद संख्या 05 अर्जीदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं, अंसविकार किये जाते है वादगत कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार बैजानाथ के जायन्दा वारिस है एवं मोहरी के भी जायन्दा वारिस है जिन्हे पक्षकार नहीं बना कर वादीगण ने कानूनी भूल की है जिस कारण वाद खारिज योग्य है।
6. यह कि मद संख्या 06 अर्जीदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे है स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते है।
7. यह कि मद संख्या 7 अर्जीदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखेगये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है उक्त मम के सभी तथ्य वादीगण ने महन अपने दावा को रंग देने की गरह से लिखवाये है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध सरोकार नहीं है।
8. यह कि मद संख्या 08 अर्जीदावा के तथ्य के जबाब में निवेदन है कि कानूनन धारा 80 सीपीसी का नोटिस या पूर्वअनुमति धारा 80(2) सीपीसी की आवश्यकता है जो नहीं ली गई होने से वादीगण का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है।
9. यह मि मद संख्या 09 अर्जीदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं है अस्वीकार किये जाते है। वादीगण को किसी प्रकार का वाद आधार या वादकारण प्राप्त नहीं है।
10. यह कि मद सं. 10 अर्जीदावा के तथ्य में न्यायालय [illegible] बाबत कोई आपति नहीं है।
11. यह कि अनुतोष की मद सं. क, ख, ग के तथ्य स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते है इस गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश [illegible] वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष कानूनन प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि प्रतिवादी सं. 01 राधेश्याम वादगत खेत खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिश्वा में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जो प्रतिवादी सं. 01 राधेश्याम के ही कब्जा, उपयोग उपभोग में चली आ रही है वादीगण ने गलत व मिथ्या तयिों का निरूपण करते हुए यह गलत दावा पेश किया है जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

13. यह कि वादीगण ने अपने दावा में सभी सुसंगत तथ्यों का वर्णन नहीं किया है एवं सुसंगत तथ्यों को छुपाया है तथा आदेश 06 नियम 02 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानो की पालना नहीं की हैजिस कारण वादीगण का वाद वार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है।

14. यह कि अनवानी दावा की प्रतिवादीनी नारायणी देवी की मृत्यु उकत दावा पेश होने से काफी वर्षो पूर्व मृत्यु हो चुकी है फिर भी वादीगण ने नारायणी देवी मृतका को दावा में पक्षकार बनाया है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा मृत व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत किया गया दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है एवं प्रारम्भतः हि खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण सं. 01 को हुए वादीगण के उक्त मिथ्या दावा से हैरानी परेशानी व आर्थिक नुकसान वाजिब खर्चा वादीगण से दिलवाया जावे।

प्रतिवादी सं 02 व 03 श्यामलाल व पवन कुमार की जवाब दावा निम्नानुसार पेश किया जाता है।

1. यहकि दावा की मद सं 01 में दर्ज तमाम तथ्य वादीगण स्वयं द्वारा ही साबित किये जाने है, इस मद में दर्ज तथ्यों के सम्बंध में वादीगण ने अपने दावा में किसी दस्तावेजी सबूत को पेश नहीं किया है।

2. यहकि दावा की मद सं 02 में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किये जाते हैं। वादीगण के दादा स्वर्गीय कालूराम थे, इन तथ्यों को भी वादीगण द्वारा ही साबित किया जाना है। वादीगण ने इस दावा में कोई वंशवृक्ष पेश नहीं किया है तथा ना ही इससे सम्बंधित कोई दस्तावेजी सबूत ही पेश किया है। इस मद में यह तथ्य गलत दर्ज किये गये है कि खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिस्वा रोही मौजा सातडा की कृषि भूमि पर जागीरदार के समय से ही कब्जा काश्त रहा हो, इस मद में यह भी गलत दर्ज किया गया है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 329 कच्ची तादादी 13 बीघा 09 बिस्वा पर वादीगण के दादा स्व. कालूराम एवं वादीगण के पिता स्व. अर्जुनराम का कब्जा काश्त रहा हो और वादगत कृषि भूमि का लगान भी वादीगण के दादा व पिता ने अदा किया हो। इस मद में यह भी गलत दर्ज किया गया है कि सम्वत् 2007 से लेकर आज तक प्रतिवादीगण सं 02 ता 03 का कब्जा काश्त वादगत कृषि भूमि पर ना रहा हो।

3. यहकि दावा की मद सं 03 में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किये जाते हैं। वादीगण ने इस मद में दर्ज समस्त तथ्यों को मिथ्या रूप से गलत आधारों पर दर्ज करवाया है। वादीगण वादगत कृषि भूमि के किसी भी प्रकार से खातेदार एवं काश्तकार नहीं है ना ही हुये हैं और ना ही कानूनन हो सकते हैं। इस मद में वादीगण द्वारा दर्ज यह तथ्य भी गलत दर्ज किये गये हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार वादीगण इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार सम्वत् 2012 से कानूनन हो चुके हो। वादीगण द्वारा पेश किये गये इस दावा में सत्य बात का किंचित मात्र भी सम्पुट नहीं है। क्योंकि वादीगण की बात में किंचित मात्र भी अगर सच्चाई होती तो वादीगण एवं वादीगण के पिता एवं दादा गत् 58 सालों तक चुप नहीं बैठते और कोई न कोई कानूनी कार्यवाही अवश्य ही करते। किसी भी गिरदावरी में संहवन से अथवा किसी राजस्व कर्मचारी की मिलीभगत से अगर कोई प्रविष्टि गैरकानूनी रू॰ से कर दी भी जाती है तो उससे किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकारो का सृजन नहीं होता है। किसी भी खातेदार के विरूद्ध कोई अन्य व्यक्ति अपने स्वयं को खातेदार घोषित कानूनी नहीं करवा सकता है। दावा हाजा में दर्ज मिथ्या आधारों पर वादीगण कानूनन खातेदार वादगत कृषि भूमि घोषित होने के किसी भी प्रकार से कानूनी अधिकारी नहीं है।

4. यहकि दावा की मद सं 04 में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किये जाते हैं, प्रतिवादी सं 02 व 03 वादगत कृषि भूमि में अपने पैतृक हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने उक्त दावा को अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने [illegible] एवं मिथ्या आधार पर पेश किया है। जो हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है। मद हाजा में वादीगण ने जिन तथ्यों का वर्णन किया है, उन तथ्यों बाबत दावा की मद सं 03 [illegible] चुका है। इस मद में यह तथ्य भी गलत दर्ज किये गये हैं कि प्र[illegible] 65 वर्ष पहले ही ग्राम सातडा को छोडकर चले गये हो। किसी भी व्यक्ति के दूसरी जगह पर [illegible]कर बसने से उसकी अचल सम्पति में उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

पैतृक एवं कानूनी अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इस मद में यह तथ्य गलत दर्ज करवाये गये है कि प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि को गत् 65 सालों से काश्त नहीं करते हो, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण बराबर काश्त के मौसम में वादगत कृषि भूमि पर काश्त करते है, परन्तु यह सही है कि प्रतिवादीगण अब रतनगढ में जाकर बस गये है। इस मद में यह तथ्य भी गलत दर्ज करवाये गये है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के बाद काश्तकार सम्वत् 2011 व 2012 की खसरा गिरदावरी के आधार पर मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी। कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि खातेदार के विरूद्ध किसी भी गिरदावरी में खेतों को काश्त करने के लिये दिये जाने वाले का नाम आने से उसे खातेदारी के अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा अगर अपनी खातेदारी के खेतों को वादीगण के पूर्वजों को काश्त किये जाने हेतु सम्भलाये भी गये है, तो ऐसी स्थिति में वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज वादगत खेतों के किसी भी सूरत में खातेदार काश्तकार घोषित कानूनन नहीं किये जा सकते है।

5. यहकि दावा की मद सं 05 में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किये जाते है, इस मद में यह तथ्य गलत दर्ज किये गये है कि स्व. लादुराम के जायंदा पुत्र बैजनाथ व पुत्री रामीदेवी व मोहरी लाऔलाद फौत हो गये हो। वादीगण ने यह तथ्य कपोल कल्पित रूप से दर्ज करवाये है। वादीगण द्वारा जब यह दावा लाया गया है, तो वादीगण का ही यह विधिक दायित्व है कि वादीगण स्वयं स्व. लादुराम के जायंदा पुत्र बैजनाथ व पुत्री रामीदेवी व मोहरी के लाऔलाद फौत होने से सम्बंधित कोई दस्तावेज अपने दावा के साथ पेश करते परन्तु स्व. लादुराम के पुत्र पुत्रियों के लाऔलाद फौत होने का कथन वादीगण ने महज झुठी सम्भावना के आधार पर कपोल कल्पित ढंग से झूठे तथ्यों का समावेश करके किया है, जिसका कोई भी कानूनी अधिकार एवं आधार वादीगण को प्राप्त नहीं है। स्व. लादुराम के अन्य वारिसान जो प्रतिवादी सं 01 ता 04 है, उनका राजस्व अभिलेख में खातेदार के रूप में नाम अंकित है। कानूनन के प्रचलित सिद्धान्तों की परिपालना में किसी भी खातेदार का नाम हटाकर कोई अन्य व्यक्ति रिकार्ड दुरूस्ती के दावा के आधार पर दावा कानूनन पेश नही कर सकता। वादगत खेत खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिस्वा रोही मौजा सातडा के रिकॉर्डेड खातेदार को बतौर आवश्यक पक्षकार मुकदमा हाजा में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से दावा हाजा इसी बिनाय पर खारिज किये जाने योग्य है।

6. यहकि दावा की मद सं 06 में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किये जाते हैं। वादीगण इस दावा के जरिये स्वयं को खातेदार एवं काश्तकार घोषित करवाने में कानूनन सक्षम नहीं है। वादीगण का दावा अन्दर मियाद नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. यहकि दावा की मद सं 07 में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किये जाते है। वादीगण खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार से कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नहीं है।

8. यहकि दावा की मद सं 08 में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टतया इंकार किये जाते हैं। वादगत कृषि भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है, जिनके विरूद्ध धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह मियादी नोटिस दिये बिना दावा हाजा कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। दावा हाजा को पेश करने से पूर्व वादीगण ने धारा 80 (2) सी.पी.सी. में बिना नोटिस दिये राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्राप्त नहीं की है, इस आधार पर भी वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

9. यहकि दावा की मद सं 09 में दर्ज तमाम तथ्य गलत बयानी होने से स्पष्टया इंकार किये जाते है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से ना तो कोई वाद हैतुक प्राप्त है और ना ही वादा आधार प्राप्त है।

10. यहकि दावा की मद सं 10 में दर्ज तमाम तथ्य कानूनी होने से जवाब के मोहताज नहीं है।

11. यहकि दावा की मद संख्या 10 के बाद दर्ज की [illegible] बाद क,ख,ग में दर्ज कोई भी अनुतोष प्राप्त करने में वादीगण कानूनन सक्षम नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

विशेष कथन

12. यहकि वादी गण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से ना तो कोई वाद हैतुक प्राप्त है और ना ही वादा आधार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

13. यहकि वादगत कृषि भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है, वादीगण ने दावा हाजा में राजस्थान सरकार को बतौर प्रतिवादी सं. 05 के रूप में पक्षकार संयोजित किया है, जिनके विरूद्ध धारा 80 सी.पी.सी. का दो मोह मियादी नोटिस दिये बिना दावा हाजा कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। दावा हाजा को पेश करने से पूर्व वादीगण ने धारा 80 (2) सी.पी.सी. में बिना नोटिस दिये राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्राप्त नहीं की है, इस आधार पर भी वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

14. यहकि वादीगण ने उक्त दावा घोषणात्मक अनुतोष प्राप्ति का पेश किया है। उक्त दावा मियाद में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादगत खेत खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिस्वा रोही मौजा सातडा तहसील व जिला चूरू के खातेदार प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज रहे है। वादीगण ने यह दावा खातेदारों के विरूद्ध 58 वर्ष बाद पेश किया है, जो किसी भी प्रकार से कानूनी मियाद में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

15. यहकि खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिस्वा रोही मौजा सातडा तहसील व जिला चूरू के सभी खातेदार दावा हाजा के आवश्यक पक्षकार है जिन्हें दावा में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, इसलिए आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण दावा हाजा खारिज किये जाने योग्य है।

16. यह कि वादीगण ने दावा हाजा में प्रतिवादी सं 04 नारायणी देवी को पक्षकार संयोजित किया है, जबकि नारायणी देवी इस दावा को पेश करने से काफी वर्षों पूर्व ही मर चुकी थी। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा नलीटी है और किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्धदावा कानूनन चल नहीं सकता। इसी आधार पर वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि जवाब दावा स्वीकार किया जावे और वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे में खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को बेवजह गलत दावा के जरिये हर्जे खर्चे से परेशान करने की एवज में वादीगण से प्रतिवादीगण को

प्रतिवादी संख्या 04 पर जरिये अखबारी साया तामिल करवाई गई फिर भी प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का इस आधार पर पेश किया गया कि वादगत भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार बैजनाम वमाहरी के जायन्दा वारिसानों को दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया इनके लाऔलाद फौत होने के तथ्य का प्रतिवाद करते हुए इन दोनो के जायन्दा वारिसान का मौजूद होना बताया व 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया जाने का हवाला दिया जाकर दावा खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया साथ ही प्रतिवादी संख्या 04 नारायणी को दावा दायर करने से पूर्व ही फौत होना बताया है जिससे मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर दावा काबिले खारिज बताया परन्तु प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कोई कुर्सीनामा या कोई मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि बैजनाथ व मोहरी के जायन्दा वारिस मौजूद है तथा ना ही नारायणी की मृत्यु होने का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रार्थी ने पेश किया है जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी संख्या 04 की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थना प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज की गई तथा बैजनाथ व मोहरी के कोई विधिक वासिर होने पर उन्हे विधिवत पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया गया परन्तु आज दिनांक तक प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 04 पर अखबारी साया से तामील करवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

जवाब प्रस्तुत होने पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई

Signature Not Verified

1. आया घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख.[illegible] तादादी 7 बीघा 16 बिश्वा वाके रोही सातडा तहसील चूरू के वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त [illegible] दर्ज की जावे ?

—वादीगण—

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

2. आया प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वे वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार वादीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल न करें, ना काश्त के उपयोग–उपभोग में बाधा डालें ?

–वादीगण–

3. आया प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादगत कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार होने से गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर लाया गया दावा वादीगण निरस्त योग्य है ?

–प्रतिवादी सं. 1 से 3–

4. आया प्रतिवादी सं. 4 नारायणीदेवी की मृत्यु दावा दायर करने से काफी वर्ष पूर्व होने से मृत व्यक्ति के खिलाफ लाया गया दावा वार्ड बाई लॉ होने से काबिल खारिज है ?

–प्रतिवादी सं. 1 से 3–

5. आया वादीगण ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को पार्टी नहीं बनाने एवं वादीगण को वाद हैतुक नहीं होने से दावा वादीगण खारिज योग्य है ?

–प्रतिवादी सं. 1 से 3–

6. अनुतोष

तथ पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया।

वादी भानीराम की ओर से बयान प्रस्तुत किये गये जो इस प्रकार है।

मेरे द्वारा मुख्य परीक्षण 6 भागों का शपथपत्र दिनांक 20.07.2017 को पेश किया गया है। जिसमें तमाम तथा सही सही लिखवाये गये है जो शपथपत्र मैने पेश किया है जिस पर A से B क्रमश मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श –1 जमाबंदी, प्रदर्श –2 वादगत खेत का नक्शा, प्रदर्श– 3 जमाबंदी सं. 2060–63, प्रदर्श –4 जमाबंदी संवत 2056 से 60 तक, प्रदर्श – 6 इंतकाल दिनांक 12.05.1992, प्रदर्श –7 खसरा बन्दोबस्त मिलान क्षेत्रफल सेटलमेट विभाग संवत 2025, प्रदर्श –8 वादगत खेत की गिरदावरी सं. 2025 से 26, प्रदर्श –9 वादगत खेत की गिरदावरी संवत 2021 से 24, प्रदर्श – 10 वादगत खेत की गिरदावरी (काश्त) संवत 2017 से 2020, प्रदर्श –11 गरदावरी संत 2014 से 2016, प्रदर्श –12 वादगत खेत की गिरदावरी संवत 2011 से 2014, प्रदर्श – 13 वादगत खेत की गिरदावरी संवत 2006 से 2009 तक, प्रदर्श –14 जमाबंदी संवत 2011 से 2014 जमाबंदी संवत 2005 से 2008, प्रदर्श –15 लगान अदा की राशि संवत 2017, प्रदर्श –16 असल 16 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 16 A है। लगान अदा करने की रसीद असल प्रदर्श–17 है जिसकी फोटो प्रति पत्रावली पर प्रदर्श 17 A है। प्रदर्श 18 लगान की रसीद असल है जिसकी फोटो प्रति पत्रावली पर प्रदर्श 18 A है। प्रदर्श– 19 असल लगान रसीद जिसकी फोटा प्रति प्रदर्श 19 A है। प्रदर्श–20 लगान रसीद असल है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 20 A है। प्रदर्श –21 असल रसीद जिसकी फोटो प्रति 21 A है। प्रदर्श –22 असल रसीद लगान जिसकी फोटो प्रति 22 A है। प्रदर्श –23 असल लगान रसीद जिसकी फोटो प्रति 23 A है। प्रदर्श – 24 असल रसीद जिसकी फोटो प्रति 24 A है। प्रदर्श – 25 असल लगान रसीद जिसकी फोटो प्रति 25 A है। प्रदर्श –26 असल लगान रसीद जिसकी फोटो प्रति 26 A है। उक्त दस्तावेज मेरे द्वारा दावा में पेश किये गये है।

जिरह वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से

यह दावा मैंने समझकर व पढकर पेश किया गया है। खेत ख.नं. 506 तादादी 7 बीघा 16 बिस्वा है इस जमीन के खातेदार बैद्यनाथ, रामकुमार, राधेश्याम, मोहरी, नारायणी रामादेवी है। वादगत कृषि भूमि पर हमारा कब्जा लगभग 65–70 सालों से है। 65–70 साल पूर्व मेरा जन्म नहीं हुआ था। इस कृषि भूमि पर सर्व प्रथम कब्जा मेरे दादाजी स्व. कालूरामजी व पिताजी स्व. अर्जुनराम ने किया था। मेरे दादाजी ने अपने जीवनकाल में कोई मुकदमा नहीं किया। मेरे पिताजी का स्वर्गवास आज से 7 साल पहले हुआ था यह सही है कि मेरे पिताजी ने अपने जीवनकाल में वादगत कृषि भूमि को प्राप्त करने का कोई मुकदमा नहीं किया। वादगत कृषि भूमि की खातेदारी मेरे दादाजी व पिताजी के नाम से आज तक नहीं हुई। मैं नारायण वल्द अर्जन [illegible] यह बात मैं नहीं बता सकता कि वादगत कृषि भूमि को लादूराम ब्राहम्ण द्वारा मेरे [illegible] दादाजी को काश्त करने के बतलाई हुई थी या नहीं। मेरे पिताजी ने क[illegible] सेटलमेंट के समय में चढाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। य[illegible] तक की रखीदों में खातेदार का नाम लादिया वल्द मुकनाराम है व काश्त कर [illegible] पिता के नाम से है। कई रसीदों में हमारा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

नाम हे। यह सही है कि जिन रसीदों में हमारा नाम है वो काश्तकार के कॉलम में है लादुराम ब्राह्मण के कुल कितनी औलाद थी मुझे पता नहीं वैसे मेरे हिसाब से 04 लड़के 02 लड़की थी। यह सही है कि वर्तमाना खातेदारी में 03 लड़किया है। मोहरी, नारायणी, रामदेवी है। आज से 02 साल पूर्व में लादूरामजी के पुत्र राधेश्याम व उसका लड़का हमारे घर आये थे तब मै उनसे मिला था लादूरामजी ब्राह्मण के जायज वारिशानों मे से मुझे केवल राधेश्यामजी के बारे में ही जानकारी है बाती वारिसान के बारे में पता नही है। दावा पेश करने से पहले हमने कोई नोटिस नहीं दिया। यह कहना सही है कि दावा करने से पहले रा. सरकार एवं तहसीलदार चूरू को नोटिस नहीं दिया। यह कहना गलत है कि मैं आज झुठे बयान दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि वादगत कृषि भूमि पर हमारा कब्जा न हो। यह कहना गलत है कि वादगत कृषि भूमि पर पर हमारा कब्जा काश्त न हो।

दौलतराम पुत्र अर्जुनराम की ओर से की रे बयान इस प्रकार से प्रस्तुत किये गये है कि

जिसकी जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से की गई जो इस प्रकार है कि यह कि दावा मैंने सोच समझकर पेश किया है खेत खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिश्वा है इस जमीन के खातेदार वैधनाथ, रामकुमार, राधेश्याम, मेहरी, नारायणी, रामदेवी है। वादगत कृषि भूमि पर हमारा कब्जा लगभग 65–70 सालों से है। 65–70 साल पूर्व मेरा जन्ह नहीं हुआ था। इस कृषि भूमि पर सर्व प्रथम कब्जा मेरे दादाजी स्व. कालूरामजी व पिताजी स्व. अर्जुनराम जी ने किया थ। मेरे दादाजी का र्स्वावास हुआ तब मेर जन्ह नहीं हुआ था। मेरे दादाजी ने अपने जीवनकाल में कोई मुकदमा नहीं किया। मेरे पिताजी का स्वर्गवास आज से पहले करीब 07 साल पहले हुआ था। यह सही है कि मेरे पिताजी ने अपने जीवनकाल में वादगत कृषि भूम को प्राप्त करने का कोई मुकदमा नहीं किया। वादगत कृषि भूमि की खातेदारी मेरे दादाजी व पिताजी के नाम से आजतक नहीं हुई है। मै नारायण वल्द अर्जन जाति जाट को नहीं जानता हूं यह बात में बता सकता कि वादगत कृषि भूमि को लादूराम लादूराम ब्राह्मण द्वारा मेरे पिताजी एवं दादाजी को काश्त करने के लिए बतलाई हुई थी या नहीं। मेरे पितानजी ने कहा यह जमीन अपनी है। मेरे पिताजी ने अपने जीवनकाल में सैटलमेंट के समय में जमीन चढाने की कोई कार्यवाही नहीं की। दावा में जो रसीदें पेश की है उसमें हमारे दादाजी का नाम है और पिताजी का नाम है। यह कहना सही हैकि दसीदों में लादिया वल्द मुकनामराम का नाम भी है। वादगत जीन में काश्त मेरे दादा व पिता कने नाम से है। कई रसीदों में हमारा नाम भी है। यह सही है कि जिन रसींदों में हमारा नाम है वोकाश्तार के कालम है। लादूराम ब्राह्मण के कुल कितनी औलादें थी मुझे पता नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से 04 लड़के 02 लड़की थी। यह सही है कि वर्तमान खातेदारी में 03 लड़कियां मोहरी, नारायणी, रामीदेवी है। आज से 02 साल पहले मैं लादूराम के पुत्र राधेश्याम व उसका लड़का हमारे घर आये थे तब मैं उनसे मिला था। लादूरामी के जायज वारिसान में से मुझे केवल राधेश्यामजी के बारे में जानकारी है। बाकी वारिसान के बारे में पता नहीं ह। दावा पेश करने से पहले हमने कोई नोटिस नहीं दिया। यह कहना सही है कि दावा करने से पहले रा. सरकार एवं तहसीलदार भूमि को नोटस नहीं दिया। यह कहना गलत है कि वादगत खते पर हमारा कब्जा काश्त ना हो। यह कहना गलत है कि यह वादगत कृषि भूमि को लादूराम ब्राह्मण मेरे पिता व दादा को काश्ते करने के लिए दिया है। यह कहना गलत है कि वादगत कृषि भूमि पर हमने नाजायज कब्जा किया है।

जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

प्रतिवादी संख्या राधेश्याम आदि कितने भाई है मुझे पुरा ध्यान नहीं है। शायद 03 भाई और 04 बहन है। राधेश्याम, रामकुमार, बैधनाम, मोहरी, नारायणी, रामदेवी आदि है। नारायणी जीवित है। हम मिले नहीं लेकिन 02 साल पूर्व राधेश्याम आया था उसने बताया नारायणी जिन्द है। 02 साल के अवधि में उसकी मृत्यु हो गई हो तो हमे ध्यान नहीं। यह कहना सही है कि इस जमीन के हम खातेदार नहीं है। दावाकृत कृषि भूमि का रकबा वर्तमान में 07 बीघा 16 बिश्वा है। उक्त भूमि के खसरा नम्बर 506 है। यह कहना गलत हैकि राधेश्याम ने 20.04.2015 को नारायणी की मृत्यु बाबत न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया हो। मेरे पिताजी की मृत्यु 2012 में [illegible] जी की मृत्यु मेरे जन्म से पूर्व हुई थी। यह कहना गलत है कि राधेश्याम यहां आते–जाते है। [illegible] कहना सही है कि उक्त भूमि का वैधनाथ रिकॉर्डेड खातेदार है अब उसके [illegible] उक्त वैधनाम के के कोई वारिश यहै या नहीं है इसका कोई कु[illegible] पेश नहीं किया थां अज खुद कहा कि वो साधु बनया और कोई शादी नहीं कि । ऐसा कोई [illegible] पेश नहीं किया कि वो साधु बन गया। मोहरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

राधेश्याम आदि की बहन लगती है। यह कहना सही है कि राधेश्याम वादगत कृषि भूमि में 1/6 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार है। जो हमने शपथ पत्र पेश किया है वो मैंने लिखवाया है जो टाईपिस्ट ने टाईप किया है। मोहरी जिन्दा है या फौत हो गई मुझे पता नहीं। अर्जुनराम का कब्जा जन्म से रहा सम्वत् 2007 से लेकर आज तक रहा हैं काश्तकारी अधिनियम 1955 से लागू हुआ । काश्तकारी अधिनियम 1955 केतहत जो व्यक्ति काश्त कर रहा है उसके नाम भूमि अंकित की जावे। लेकिय यह नहीं हुआ। यह कहना सही है कि हमने दावा पेश किया तब धारा 80 का नोटिस नहीं दिया। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी राधेश्याम ने वादगत कृषि भूमि को कभी स्वयं ने काश्त किया कभी हिस्सा पांती में हमें बतया। यह कहना गलत है कि प्रतिवीगण गरीब और कामचोर हो तथा अलग रहने की वजह से हमने शक्ति के बल प्रयोग पर उक्त कृषि भूमि पर मन चला दिया हो।

बयान गवाह डूंगरराम पुत्र लूदराम

जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 व 03

मै। आठवीं पास हूं मेरे खेत के खसरा नम्बर 507 है मेरा खेत 32 बीघा का है। मुझे चारों दिशाओं का ज्ञान है मैं दिशा समझता हूँ। मेरे खेत के उतरादी साईड में मघाराम का खेत है अगुणी साईड में सांवताराम नन्दराम का खेत है आथुणी साईउ में तीन खेत लगते है जो नन्दराम, दौलतराम व टोडाराम के खेत हैं। वादीगण के पिता को गुजरे 5–7 साले हो गयै जिनाक स्वर्गवास गांव में ही हुआ था। अर्जुनराम के पिता का नाम कालूराम था जिनके स्वर्गवास का मुझे ज्ञान नहीं है। मैने अर्जुनराम को देखा है, कालूराम को नहीं देखा है। मैने प्रतिवादीगण सं. 01 से 04 के दुखा हुआ नहीं है। राधेश्याम, श्यामलाल, पवनकुमार व नारायणी 05–07 साल पहले गांव आये थे तब लोगों से चर्चा सुनी थीं कि दूसरे गांव से आये हुए लोग खेत के धणी बन रहे है। भानीराम व दौलतराम के पास सात–सवा सात बीघा भूमि है। मै। इस खेत में आता जाता रहता हॅ। वादगत खेत के अगुणी तरफ चिपते हुए किशनाराम का खेत है दिखनादी तरफ नन्दराम का कुछ हिस सांवतराम का लगता । प्रतिवादीगण कौनसे गांव के रहने वाले है मुझे पता नहीं है। जागीरदारी के बारेमें नहीं समझता। वादगत खेत खातेदारी का मुझे ज्ञान नहीं है। 50–55 साल से वादीगण इस खेत को बो रहे है। मै जब 5–6 साल का था तब खेत नहीं जाता था ना ही खेत बाता था। मै 10 साल की उम्र में खेत जाने लग गया था। मैं 12 साल की उम्र में खेत जाने लग गया था में 12 साल की उम्र में हल जोतने लग गया था। मैने शपथ पत्र में पेज नम्बर•02 की छठी व सातवीं पंक्ति में लिखे हुए तथ्य सहीं अंकित कराये हैं। मैं प्रतिवादीगण से कभी नहीं मिला। खसरा नम्बर 507 का खातेदार मेरे दादा नाथाराम है। यह कहना गलत है कि मुझे इस प्रकरण के तथ्यों की जानकारी नहीं है यह कहना भी गलत है कि मैं वादीगण का करीबी रिश्तेदार होने से झुठे बयान देने आया हूं।

जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 श्री राकेश सहारण एड0

मै खेती का काम करता हूं मैं आठवीं पढा हुआ हॅू।में कभी विदेश नहीं गया। मै भानीराम को जानता हूँ। राधेश्याम कौन है मैं नहीं जानता। मै श्यामलाल नारायणी व पवनकुमार आदि को नहीं जानता। मैंने राधेश्याम, श्यामलाल, पवन कुमार आदि को नहीं जानता।

मेरी जानकारी के अनुसार वादगत खेत का खसरा नम्बर 506 होना चाहिए यह खेत साढे सात–पोने आठ बीघा के लगभग है। मैने इस खेत की जमाबंदी नहीं देखी। मैने भानीराम वगैरह से पूछा भी नहीं कि आपके खेत का खसरा नम्बर कितना है व रकबा कितना है अज खुद कहा कि खेत पड़ोसी होने के कारण मुझे अन्दाजा है कि इस खेत का खसरा नम्बर 506 व रकबा साढे सात – पौने आठ बीघा का होना चाहिए। एक बीघा में 20 बिश्वा होते है। मैं वादगत खेत का रकबा फिक्स कितना है नहीं बता सकता। जो मैंने मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश किया वह मैंने लिखवाया है। जसे मैंने स्वयं ने टाईप करवाया था व स्वयं पढ कर हस्ताक्षर किये थे। मैने मेरे शपथ पत्र मे भी वागत खेत का बीघा व बिश्वा फिक्स नहीं लिखवाये थे। भानीराम व दौलतराम दो भाई इनके पिता का नाम अर्जुनराम है जिनकी 05 से 06 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी।मैंने मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र खुद पेश किया था। मैंने गांव में इस दावा का रोला सुना था तब मैं बयान देने आया [illegible]नाथ का नाम कभी नहीं सुना। मैंने बैजनाम का नाम कभी नहीं सुनां वादीगण के दो बहिनें [illegible] एक [illegible] नाम अभी है दूसरी का मुझे पता नही। दावाकृत भूमि में मैं वादीगण की [illegible] मुझे पता नहीं। प्रतवादीगण का नाम व पता गांव वालों ने बताया था [illegible] उसका नाम मैं नहीं बता सकता। गांव सातड़ा में 600–700 घरों की बस्ती है। मै। गांव में [illegible] को जानता हूं और किने घर कहां पर है यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

भी जानता हूँ। मेरा घर वादीगण के घर से दूर है। यह कहना गलत है कि मैं आज वादीगण के कहने से झूठे बयान दे रहा हूँ।

बयान गवाह सांवतराम पुत्र भूराराम कौम जाट

जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 व 03

मैं दसवी कलाश पढा लिखा हूँ। यह जमीन का मुकदमा है। विवाद है कि वादी कहता है कि हमारा है और प्रतिवादी कहता है कि हमारा है। विवादित खेत के कागजात किस के नाम से है मेरे नहीं देखे हुए। ये खेत लगभग साढे सात व पौने आठ बीघा का है। मेरा खेत विवादित खेत के दक्षिण साइड में पड़ता है। मेरे सांवता राम होने का कोई आधार आज मेरे पास नहं है। विवादित खेत के अगुण दिशा में किशनाराम जो कालूराम का पुत्र है। विवादित खेत के अगुण दिशा में किशनाराम जो कालूराम का पुत्र है। आथुन में डूंगरराम पुत्र लादूराम का खेत है। उतराध में झुहारपुरा गसंच के वुपिश्स कस खेत है नाम का ध्यान नहीं है। अज खुद कहा जो अभी क्रय किया है। मेरे खेत के खसरा नम्बर 508 है। जो 40 बीघा 10 बिश्वा है। मैं मेरे खेत के कोई कागज आज नहीं लाया। मैं 15–16 वर्ष का था तब से खेती करता हॅं। अर्जुन राम जी को गुजरे हुए 6–7 साल हो गये। अजर्फन राम के पिता का नाम कालूराम था। कालूराम जी को गुजरे हुए अंदाजन 20–25 साल हो गयैं अविवादित जमीन पर मैंने कालूराम व अर्जुनराम को काश्त करते दुखा था। मै।ने मेरे बुजुर्गों से सुना था कि वो सातड़ा गांव में रहे थे। फिर वो रतनगढ चले गये। यह मुझे जानकारी नहीं है कि विवादित खेत लादूराम जी पण्डित ने अर्जुनराम जी व कालूराम जी को बाने के लिद दिया या नहीं सातड़ा गांव में लूादराम जी की कोई रिहायश है या नहीं मुझे पता नहीं। अज खुद का कोई रिहायशी घर नहीं है। जागीरदार संवत् 2012 में आयी थी ऐसा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था। जागीरदारी का मतलब मैं जमीन नाम होने से समझता हूँ। अर्जुनराम जी मेरे गांव के होने से काका लगते थे। अर्जुन राम जी 6–7 पीढी में है मेरे। यह कहना सही है मैं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 को शक्ल से नहीं जानता क्योंकि मैंने उनाके देख ही नहीं। यह कहना सही है कि भानीराम जी व दौलतराम जी विवादित जमीन को अपने नाम से करवाना चाहते है। मैं बयान देने अपने आप आया हू। मुझे कोई नहीं लाया। कोर्ट से मुझे गवाह के रूप में बुलाने के कोई समन नहीं गये। यह कहना गलत है कि मुझे आने जाने का किरया वादगण ने दिया हो। यह कहना गलत है कि आज मैं झुठे बयान दे रहा हूँ। यह कहना भी गलत है कि विवादित कृषि भूमि पर भानीराम व दौलतराम का कब्जाकाश्त नहीं हो। यह कहना भी गलत है कि मैं विवादित खेत का पड़ौसी न हो।

प्रतिवादीगण की ओर श्यामसुन्दर गवाह ने अपने बयान प्रस्तुत किये।

जिरह द्वारा अधिवक्ता वादी की गई।

मैं वादीगण के दादा कालूराम को नहीं जानता। मैं वादीगण के पिता अर्जुनलाल को भी नहीं जानता। मेरी पिता व दादाजी जरूर जानते थे। हम मेरे दादा लादूराम के वक्त से ही रतनगढ मय परिवार रिहायश करते है। हम करीब 60 साल से रतनगढ ही रिहायश करते है। मेरे पिता व मैं भी सातड़ा आते जाते रहे है। हमारा सातड़ा मे घर था जिसे हमारे परिवार के लोगो के बसने के लिए दिया। वादगत खेत खसरा नम्बर 506 तादादी 07 बीघा 16 बिश्वा वाके रोही सातड़ा मेरे पिता व मैंने 65 से कास्त नहीं किया है। 65 साल से वादगत खेत की काश्त वादीगण के पिता अर्जुन व दादा कालूराम ही करते हा रहेहै। मैंने व मेरे दादा ने कास्त नहीं किया क्योंकि मेरे दादाद ने वादीगण के दादा को यह खेत काश्त हेतु दिया था। वादीगण अपने दादा व पिता के वक्त से ही इस खेत को काश्त करते आ रहे है। वादगत खेत के सरकारी खजाने मेंलगान शुरू से ही वादीगण के पिता व दादा ने अदा की है हमने इस खेत का लगान कभी भी अदा नहीं किया। मेरे दादा ने इस खेत का कभी भी लगान नहीं भरा न ही मेरे पिता ने भरा व न ही हमने भरा। वादगत खेत के उतर, दक्षिण किस का खेत है मुझे ध्यान नहीं है। इस खेत का रास्ता किस खेत में से होकर जाता है यह भी मुझे पता नहीं है मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि नाकरास [illegible] खेत सातड़ा की रोही में में है। यह बात सही है कि वादगत खेत की हर साल काश्त की [illegible] वादीगण के दादा व पिता के नाम से चली आ रही है। फिर अज खुद कहा [illegible] हिस्सा देते थे। पांच साल से बन्द कर दिया है। यह सही है कि [illegible] गई है कि पांच साल पहले तक कुछ हिस्सा हमें देते हो । [illegible] वादगत भूमि हमारा कोई हक हिस्सा नही हो यह कहना भी गलत है कि मैं वादगत खेत को जान[illegible] नहीं हूँ । मैंने पांच साल इस खेत को नहीं देखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

तथा नही इस खेत में गया हूँ। अज खुद कहा कि मुझे वादी खेत में जाने नहीं देते। यह कहना गलत है कि मैंने आज झुठे बयान प्रस्तुत किये है।
साक्ष्य वादी व प्रतिवादी पेश होने पर साक्ष्य बंद किये गये व अधिवक्ता वादी की बहस सुनी अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित रहे।
बहस सनुी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2068से 2071 खेत खसरा नम्बर 506 रोही ग्राम सातड़ा मे बैजनाथ, रामकुमार, राधेश्याम पि. लादूराम मोहरी, नाराणी, रामदेई पुत्रियां लादु ब.बि.ह. सा0 देह खातेदार हाल आबाद रतनगढ अंकित है। प्रदश–3 जमाबंदी संवत् 2060–2063 रोही ग्राम सातडा खेत खसरा नम्बर 506 में बैजनाथ, रामकुमार,राधेश्याम पि. लादु, मोहरी,नारायणी रामदेई पुत्रियां लादु ब.हि.ब. सा देह खातेदार हाल आबाद रतनगढ अंकित है। प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 में खेत खसरा नम्बर 506 रोही ग्राम सातड़ा मे बैजनाथ, राम कुमार, राधेश्याम पि. लादुराम मोहरी नारायणी रामदेई पुत्रियां लादु ब.हि.ब. सा.देह खातेदार हाल आबाद रतनगढ अंकित है। प्रदर्श– जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में खेत खसरा नम्बर 506 रोही ग्राम सातड़ा मे बैजनाथ, राम कुमार, राधेश्याम पि. लादुराम मोहरी नारायणी रामदेई पुत्रियां लादु ब.हि.ब. सा.देह खातेदार हाल आबाद रतनगढ अंकित है। प्रदर्श–6 नामान्तरकरण संख्या 258 दिनांक 12.05.1992 ग्राम सातड़ा पटवार हल्का सातड़ा भू.अ.नि. नाकरासर तहसील व जिला चूरू में लादूराम के पूर्व में फौत हाने का हवाला दिया जाकर बैजनाथ, रामकुमार, राधेश्याम पि. लादु व मोहरी नारायणी रामदेई पुत्रियां लादु ब.हि.ब. सा. देह खातेदार हाल आबाद रतनगढ अंकित किया है। प्रदर्श–7 सेटलमेंट विभाग की प्रति सम्वत् 2025 में खेत खसरा संख्या 506 रोही ग्राम सातड़ा में लादिया वल्द मुकनाराम खातेदार व अर्जन वल्द कालू कौम जाट सा देह काश्तकार अंकित है। प्रदर्श–8 गिरदावरी सम्वत् 2025 से 28 खेत खसरा नम्बर 329 में लादिया वल्द मुकना कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार व व नारायण व अर्जन पिसरान कालू सा देह काश्तकार अंकित है। प्रदर्श–9 गिरदावरी सम्वत् 2021 से 2024 खेत खसरा नम्बर 329 रोही ग्राम सातड़ा में लादिया मजकूरामन व कालूराम जाट सा. देह काश्तकार व नारायण व अर्जुन वल्द कालूराम सा. देह काश्तकार दर्ज है। प्रदर्श–10 गिरदावरी सम्वत् 2017 से 2020 रोही ग्राम सातड़ा खेत खसरा नम्बर 329 में लादिया मजकूरान व शरह नम्बर 59 तथा कालूराम साद हेह काश्तकार दर्ज है। प्रदर्श–11 रोही ग्राम सातड़ा खेत खसरा नम्बर 329 गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2016 में लादिया मजकूरान व शरह नम्बर 95 तथा कालूराम जाट साकिन देह काश्तकार अंकित है। प्रदर्श–12 गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2014 रोही ग्राम सातड़ा खेत खसरा नम्बर 329 में लादिया व शरह नम्बर 95 कालूराम जाट अंकित है। प्रदर्श–13 गिरदावरी सम्वत् 2006 से 2011 में खसरा नम्बर 329 रोही ग्राम सातड़ा लादिया मजकूरान व सहर नम्बर 95 व हनुमान वल्द मघा सा देह पड़ता देही अंकित है। प्रदर्श–14 रोही ग्राम सातड़ा जमाबंदी सम्वत् 2009 से 2012 में खेत खसरा संख्या 329 में लादिया वल्द मुकना को प्रवाह मगा सा देह अंकित है। प्रदर्श–15 जमाबंदी सम्वत् 2005 से 2008 रोही ग्राम सातड़ा में लादिया वल्द मुकना खातेदार व हनुमान वल्द मगा काश्तकार दर्ज है। प्रदर्श– 16 से 26 लगान रसीद सम्वत् जिनमें सम्वत 2017 में भुगतान कर्ता लादिया मजूकर कालू अरजंन वल्द कालू राम कौम जाट अंकित है , रसीद दिनांक 10.01.1964 में अर्जन राम नाम अंकित है। रसीद दिनांक 31.12.1967 में अर्जन का नाम दर्ज है। रसीद 1968 में में अर्जनराम अंकित है। रसिद दिनांक 31.12.1960 में मार्फत अर्जन पुत्र कालू जाट अंकित है।रसीद दिनांक 19.12.75 में भी अरजन अंकित है।
अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी बहस में अधिवक्ता वादी अपनी बहस के समर्थन में 2023(1)आर. आर.टी.440 पेश किया प्रतिवादी अधिवक्ता बहस में अनुपस्थित रहा। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट बाबत् मौका पर कब्जा काश्त मंगवाई गई जिस पर पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार खसरा नम्बर 506 पुराना रोही ग्राम सातड़ा में मौका देखा गया। मौके पर उक्त खसरा वर्तमान में खसरा नम्बर 1304 / 506, 1305 / 506, 1306 [illegible] कारण विभाजित हो गया। जिसके खातेदार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बैजनाथ, राधे[illegible]मार, नारायणी, रामदेई पुत्र–पुत्री लादुमोहरी जाति ब्राह्मण हि.ब.हि.ब. नि. [illegible] के नाम दर्ज है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पुछताछ करने पर [illegible] खसरा पर भानीराम पुत्र अर्जुनराम, दौलतराम द्वारा कब्जा काश्त [illegible] पर भानीराम के अतिरिक्त 10 और स्वतंत्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण (भानीराम व दौलतराम) का दावा है कि वे और उनके पूर्वज संवत 2007 से लगातार काबिज काश्तकार हैं इसलिए वे "खातेदार काष्तकार" घोषित किये जाने के हकदार हैं। प्रतिवादीगण का कहना है कि वे रिकॉर्डेड खातेदार हैं और वादी केवल अनुमति से / बटाई पर काश्त करते रहे हैं। प्रदर्श 1, 3, 4, 5 (जमाबंदी संवत 2052 से 2071 तक) इनमें खेत खसरा नं. 506 के रिकॉर्डेड खातेदार बैजनाथ, रामकुमार, राधेश्याम (पुत्र लादूराम) मोहरी, नारायणी, रामदेई (पुत्रियां लादूराम) हाल आबाद रतनगढ अंकित

राजस्व अभिलेखों में खातेदारी लगातार प्रतिवादी पक्ष के नाम दर्ज है खातेदारी का प्राथमिक व मजबूत प्रमाण जमाबंदी मानी जाती है। गिरदावरी रिकॉर्ड वादीगण के पक्ष में प्रदर्श 7 से 13 (गिरदावरी संवत 2006 से 2028 तक) इनमें खातेदार लादिया / लादूराम ब्राह्मण काष्तकार कालूराम, अर्जुनराम, नारायण, अर्जुन (वादी पक्ष के पूर्वज) वादीगण एवं उनके पूर्वजों का लंबे समय तक वास्तविक काष्त व कब्जा सिद्ध होता है। लगान रसीदें वादीगण के पक्ष में 'प्रदर्श 16 से 26 (1960 से 1975 एवं अन्य वर्षो की रसीदें) लगान अदा करने वाले 'अर्जुनराम / कालूराम (वादी पक्ष) कई रसीदों में खातेदार का नाम लादूराम पर भुगतानकर्ता वादी पक्ष वादीगण द्वारा लगान भुगतान से कब्जा व काष्त की पुष्टि होती है प्रदर्श 7 (संवत 2025) खातेदार लादिया पुत्र मुकनाराम काष्तकार अर्जुन पुत्र कालूराम (वादी पक्ष) प्रदर्श 6 (इंतकाल दिनांक 12.05.1992) लादूराम की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज सेटलमेंट व इंतकाल में भी खातेदारी प्रतिवादी पक्ष की ही बनी रही

वादीगण के बयान स्वयं स्वीकार किया कि उनके पिता / दादा के नाम कभी खातेदारी दर्ज नहीं हुई सेटलमेंट के समय खातेदारी चढ़वाने की कोई कार्यवाही नहीं की रसीदों में उनका नाम काश्तकार कॉलम में है

प्रतिवादी पक्ष का गवाह (श्यामसुंदर) स्वीकार किया कि पिछले 60–65 साल से वादीगण ही काश्त करते रहे लगान वादीगण ने ही भरा यह स्वीकारोक्ति वादी के कब्जे को मजबूत करती है।

तनकी सं. 01

आया घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख.नं. 506 तादादी 7 बीघा 16 बिश्वा वाके रोही सातडा तहसील चूरू के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करते हुए वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे ?

वादपत्र, लिखित बयान, दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक गवाहियों के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि वादीगण एवं उनके पूर्वज संवत 2006 से निरंतर उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार रहे हैं। रिपोर्ट पटवारी गिरदावरी प्रविष्टियाँ, लगान रसीदें तथा सेटलमेंट रिकॉर्ड इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा केवल जमाबंदी में नाम होना सिद्ध किया गया है, परंतु वास्तविक काश्त, कब्जा का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी में नाम होना मात्र खातेदारी का अंतिम प्रमाण नहीं है, वास्तविक काश्त व कब्जा अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय एवं राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अनेक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि गिरदावरी व वास्तविक खेती, जमाबंदी से अधिक प्रभावी साक्ष्य होती है। दीर्घकालीन, शांतिपूर्ण व निरंतर काबिज काश्तकार, काश्तकारी अधिनियम के अधीन खातेदार बनने का अधिकारी होता है। यह सिद्धांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की भावना के अनुरूप है, जिसमें संवत 2011–12 के आसपास काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। जब प्रतिवादी का स्वयं का गवाह वादी के कब्जे को स्वीकार कर ले, तो प्रतिवादी का दावा कमजोर हो जाता है। न्यायिक दृष्टिकोण यह है कि स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य होती है और ऐसी स्थिति में विपरीत दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। लगान भुगतान व काश्त की प्रविष्टियाँ वास्तविक उपयोग का ठोस प्रमाण हैं। राजस्व न्यायालयों ने बार–बार माना है कि जो व्यक्ति वर्षों तक लगान देता रहा हो, उसे मात्र नामधारी खातेदार के [illegible] सकता। वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत अनुतोष का मुख्य आधार है कि वादी रा[illegible]स्तकारी अधिनियम–1955 के प्रवृत होने के समय दिनांक 15.10.1955 या [illegible] के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण खातेदारी अधिकारों की [illegible]।

अतः तनकी संख्या 01 वादीगण [illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 02
आया प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वे वादगत कृषि भूमि के काबिज काश्तकार वादीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल न करें, ना काश्त के उपयोग–उपभोग में बाधा डालें ?
जिसका कब्जा विधिसम्मत सिद्ध हो, उसे बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल नहीं किया जा सकता। चूँकि वादीगण का कब्जा एवं खातेदारी सिद्ध हो चुकी है, अतः उन्हें संरक्षण दिया जाना आवश्यक है।
तनकी संख्या 02 भी वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।
तनकी संख्या (03 से 05)
प्रतिवादीगण न तो कब्जा सिद्ध कर पाए और न ही आवश्यक पक्षकारों अथवा मृत्यु संबंधी आपत्तियों का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर सके।यह स्थापित है कि केवल तकनीकी आपत्तियों से substantive rights समाप्त नहीं किये जा सकते।
अतः तनकी संख्या 03 से 05 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।
तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में निर्णित होने से तथा तनकी संख्या 03 से 05 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 506 (पुराना) तथा नया खसरा नम्बर 1304/506, 1305/506, 1306/506 तादादी 1.9728 हैक्टेयर वाके ग्राम सातड़ा तहसील चूरू का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण उक्त खसरों राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार के स्थान पर अपना नाम राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 15.12.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2014/54 दर्ज दिनांक : 03.07.2014

1. भानीराम। पुत्रगण स्व. अर्जुनराम जाति जाट निवासीगण
2. दौलतराम। सातड़ा तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र लादूराम जाति ब्राहम्ण निवासी मावलियों का मौहल्ला खाडिया बस रतनगढ जिला चूरू
2. श्यामलाल। पुत्रगण स्व. रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मावलियो
3. पवन कुमार। का मौहल्ला खाडियो बास रतनगढ जिला चूरू
4. नारायणी पुत्री लादू जाति ब्राहम्ण निवासिनी खाडिया बास रतनगढ जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब – चूरू

उपस्थिति
अधिवक्ता वादी:– श्री सुरेन्द्र राहड़
अधिवक्ता प्रतिवादी:– श्री प्रतापसिंह बीदावत
दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 व 188 आर.टी.ए.

–:पर्चा डिक्री:–

वांदी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 506 (पुराना) तथा नया खसरा नम्बर 1304/506, 1305/506, 1306/506 तादादी 1.9728 हैक्टेयर वाके ग्राम सातड़ा तहसील चूरू का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण उक्त खसरों राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार के स्थान पर अपना नाम राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(सुनील कुमार–।)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested